न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 30/2023 तारीख दायर :–23.08.2023 दिनांक निर्णय :–13.09.2023

पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

सेड़ी देवी पत्नी अर्जुन जाति मीना उपरला गुवाड़ा बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्व ग्राम बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 2259 रकबा 20 है0 के भाग 0.08 हैक्ट0 व 2260 रकबा 0.06 हैक्ट0 के भाग 0.02 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.10 हैक्ट0 किस्म बंजड़ सिवायचक भूमि पर बजारा की काश्त कर अप्रार्थी सेडी देवी पत्नी अर्जुन जाति मीना उपरला गुवाड़ा बीघोता तहसील राजगढ़ द्वारा जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट सम्वत 2080 में प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त होने के बावजूद नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी उपस्थित रहा। अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया । अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब में बुजुर्गान के समय से ही कब्जा होने का अंकन किया है। अप्रार्थी को साक्ष्य–सबूत वास्ते समय दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण कायम रखने की निम्न प्रतित होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः–

अतिक्रमी श्री सेडी देवी पत्नी अर्जुन जाति मीना उपरला गुवाड़ा बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा वाके ग्राम बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 2259 रकबा 20 है0 के भाग 0.08 हैक्ट0 व 2260 रकबा 0.06 हैक्ट0 के भाग 0.02 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.10 हैक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.20 की 50 गुणा में मु0 60.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि कब्जेराज ली गई बाजरे की फसल काश्त को नीलामी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट कार्यालय में प्रेषित करावे एवं अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें।

आज दिनांक 13.09.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 32 पर सि-च 60/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार